

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 254/2023

- | | | |
|-------------------------------------|----------|---|
| 1. चन्द सिंह | पिसरान | जटसिख साकिन ढाणी निहालपुरा तहसील पीलीबंगा |
| 2. गुरजन्त सिंह | वीर सिंह | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 3. लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह | | |

वादीगण

बनाम

1. जसपाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. राम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :- 30-12-24

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मृतक बलदेव सिंह की कृषि भूमि के वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रतिवादी सं. 1, 2 विधिक वारीसान है व विधिक वारीसान होने के नाते मृतक बलदेव सिंह के नाम वर्णित कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त मृतक बलदेव सिंह के नाम वर्णित कृषि भूमि का वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

क. वादी सं. 1 को प्राप्त भूमि-तहसील पीलीबंगा के चक 29 एसटीजी के खाता सं. 51/49 के प.नं. 23/333 (42) किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्. नाली द्वितीय खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।


ख. वादी सं.2 को प्राप्त भूमि-तहसील पीलीबंगा के चक 30 एसटीजी के मु. सं. 41/29 के प.नं. 27/326 (68) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, प.नं. 28/325 (65) किला नं. 10 ता 14, 15/3, 15/4, 16, 17/1, 17/2, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 की 4.201 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 0. 28525 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ग. वादी 3 को प्राप्त भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 30 एसटीजी के मु. खाता सं. 41/29 के प.नं. 271326 (68) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, प.नं. 28/325 (65) किला नं. 10 ता 14, 15/3, 15/4, 16, 17/1, 17/2, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23/1, 2312 की 4.201 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 0.765 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-12-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा